ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करण सख्या : 70/2013

1. रामकिशन
2. कालूराम

पुत्रगण बूचीलाल जाति रेगर निवासीगण मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बारां हाल नि0 श्योपुर मध्यप्रदेश

.....वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

........प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, व 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री बाबुलाल जैन, श्री अजीत कुमार जैन

निर्णय दिनांक : 05.03.2018

दायरा दिनांक: 01.07.2013

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मांगरोल में साबिक खसरा नं0 2579 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि किस्म बंजड मासूम नन्दगावडी का गेला की भूमि संम्वत 2034 से 2037 की जमाबंदी में बूच्या पुत्र ग्यारस्या जाति बोला निवासी मूण्डया जो वादीगण का पिता था के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि का संम्वत 2044 से 2063 के मिलान क्षेत्रफल में नया खसरा नं0 4379 रकबा 0.43 है0 कायम किया है तथा यह रकबा वादीगण के पिता के नाम दर्ज किया है। वादीगण के पिता फौत हो गये है तथा वादीगण ही उनके एक मात्र वारिस व कायम मुकामान है, साबिक 4 बीघा 12 बिस्वा का नया रकबा 0.74 है0 कायम करना चाहिये था किन्तु भू0 प्रबन्ध विभाग के कार्मिको ने मात्र 0.43 है0 कायम किया है और इस प्रकार 0.31 है0 रकबा कम कायम किया है। जबकि वादीगण का सम्पूर्ण रकबा साबिक 4 बीघा 12 बिस्वा निरन्तर कब्जा है। वादग्रस्त भूमि के समीप हाल खसरा नं0 4373 रकबा 1.42 है0 गत के मुकाबले रकबा बढा हुआ है, तथा यह वादीगण की भूमि से लगी हुयी है। साबिक खसरा नं0 2733 रकबा 5 बीघा का हाल खसरा नं0 4373 रकबा 1.42 है0 व खसरा नं0 4372 रकबा 0.36 है0 नया कायम किया है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खसरा नं0 4373 रकबा 1.42 है0 रेकार्ड में रास्ता न होकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक बंजड दर्ज है। तहसीलदार मांगरोल को वादीगण ने उपरोक्त भूमियों की पैमाईश बाबत

पत्र दिया था जिसमें 7.12.2010 को पटवारी ने मौके पर जाकर पैमाईश की, जो रिपोर्ट दी है तमें मद नं0 3 में जो तथ्या बताये है उनकी पुष्टि की गयी है एवं समीप के खेत से 0.31 है0 भूमि कम करके वादीगण के नाम दर्ज करने की अनुसंशा की है। अतः ग्राम मांगरोल की हाल खसरा नं0 4379 रकबा 0.43 है0 भूमि जो राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है उसके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज करवाया जावे तथा इस खसरा नम्बर से लगती खसरा नं0 4373 रकबा 1.42 है0 भूमि में से 0.31 है0 भूमि खसरा नं0 4379 के लगवा पर भी वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल खसरा नं0 4373 रकबा 1.42 है0 को 0.31 है0 भूमि खसरा नं0 4379 से लगती है, से वादीगण को बेदखल नही करे तथा शांती पूर्वक काश्त करता रहने देवे तथा धारा 91 एल0आर0एक्ट0 के तहत वादीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नही करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 01.07.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी पटवार हल्का मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 05.03.2011 से अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी के पिता बूच्या पुत्र ग्यारस्या जाति बोला नि0 मूण्डया के खाते की भूमि साबिक खसरा नं0 2579 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा जमाबंदी सम्वत 2034 से 2037 में सेटलमेंट के पूर्व में दर्ज रेकार्ड थी। बाद सेटलमेंट हाल खसरा नं0 4379 रकबा 0.43 है0 दर्ज हुआ जो गत के मुकाबले 0.31 है0 कम दर्ज की गयी। जबकि 4 बीघा 12 बिस्वा 0.74 है0 बनता है। आस पास समीपस्त भूमि का नया व पुराना रेकार्ड मिलान करने पर समीपस्त खसरा नं0 4373 रकबा 1.42 है0 में गत के मुकाबले रकबा बेसी है तथा प्रार्थी को भूमि खसरा नं0 4379 रकबा 0.43 है0 से लगी हुई है साबिक खसरा नं0 2733 रकबा 5 बीघा का हाल खसरा नं0 4373 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 4372 रकबा 0.36 है0 दर्ज हुआ है जिसके वर्तमान रेकार्ड में खसरा नं0 4373 रकबा 1.42 है0 रेकार्ड में सरकारी खाते में गै0 मु0 रास्ता दर्ज है तथा खसरा नं0 4372 रकबा 0.36 है0 मौके पर रास्ता होकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक बंजड दर्ज है। ऐसी सूरत में और मुताबिक नक्शा वादी के खसरा नम्बर 4379 से दूर है एवं प्रार्थी के कमी रकबा 0. 31 है0 की कमी पूर्ति समीपस्थ खसरा नं0 4373 रकबा 1.72 है0 में से चूकि उक्त खसरा नम्बर राजस्व रेकार्ड में गै0 मु0 रास्ता अंकित होने से एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रूलिंग " **अब्दुल रहमान बनाम सरकार**" के तहत गै0मु0 भूमियां जो सार्वजनिक हित की है में किसी प्रकार का टाईटल देने का निषेध है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नं0 4379 रकबा 0.43 है0 दौराने सेटलमेंट की गयी कमी रकबा 0.31 है0 की पूर्ति की जाकर 0.74 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार मांगरोल जो भूमि धारक लैण्ड होल्डर है और राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पहुचा है कि चूकि वादी के पडौस में मौके पर वर्तमान में कोई सिवायचक बारानी बंजड भूमि जो रेकार्डेड एवं मौके पर काबिल काश्त हो, उप्लब्ध नही है।

अतः वादी की प्रार्थना अनुसार एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, वर्तमान रेकार्ड एवं मौका स्थिति के अनुसार ग्राम मांगरोल के हाल खसरा नं0 4379 रकबा 0.43 है0 पूर्व खातेदार बूच्या पुत्र ग्यारस्या जाति बोला सा0 मूडिया (म0प्र0) की मृत्यु दिनांक 03.02.2008 के फलस्वरूप वारिसान रामकिशन कालूराम पि0 बूचीलाल रेगर निवासी मांगरोल हाल निवासी श्योपुर के हक में फौती नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

वाद पत्र में उल्लेखित पडौसी खसरा नंम्बर प्रतिबंधित राजकीय गै0 मु0 रास्ता किस्म की भूमि होने से कमी रकबे की पूर्ति की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।